②

संख्या–1415/XXIV(1)/2010

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2010

विषयः– **के0वी0 कान्वेन्ट स्कूल देवलचौड़, हल्द्वानी (नैनीताल) को अंग्रेजी माध्यम की प्री–प्राइमरी से कक्षा–8 तक अस्थाई मान्यता 'ब' श्रेणी में प्रदान किये जाने हेतु।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–13144/आंग्ल भाषा/2010–11, दिनांक 04.06.2010 एवं पत्र संख्या–13144/आंग्ल भाषा/2010–11, दिनांक 17.06.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0वी0 कान्वेन्ट स्कूल देवलचौड़, हल्द्वानी (नैनीताल) को अंग्रेजी माध्यम की प्री–प्राइमरी से कक्षा–8 तक की अस्थाई मान्यता 'ब' श्रेणी निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण समय–समय पर कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं होगा।

(3) विद्यालय में नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायें।

(4) विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(5) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।

(6) संस्था द्वारा छात्र–छात्राओं हेतु मानकानुसार पुस्तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) संस्था द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य वेतनमान तथा भत्तों से कम नहीं दिया जायेगा।

(8) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाय, जिसमें लाभकारी योजनाओं का समावेश किया जाय।

PRINCIPAL
K. V. Convent S...
Deval Chour, Hal...

(9) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(10) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं पर रखा जायेगा।

(11) विद्यालय में कक्षा–कक्ष एवं स्टाफ कक्ष निर्धारित मानकानुसार बनाये जाय।

(12) संस्था में कक्षा अनुभागों के सापेक्ष अध्यापकों की तैनाती कर लिया जाय।

(13) अप्रशिक्षित शिक्षकों को तीन वर्ष में प्रशिक्षित कर लिया जायेगा।

2. उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त मान्यता वापस ले ली जायेगी।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
3. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), नैनीताल।
4. प्रबन्धक/निदेशक, के0वी0 कान्वेन्ट स्कूल देवलचौड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।